राजस्थान–सरकार
ऊर्जा विभाग

NO. F.3(4)ऊर्जा/2016

दिनांक : 06 SEP 2016

# "मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान"

## दिशा–निर्देश

1. पृष्ठभूमि

1.1 बिजली आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, यह हमारी जिन्दगी का एक अहम हिस्सा होने के साथ–साथ मूलभूत आवश्यकता बन गई है। राज्य सरकार 24X7 उच्च गुणवत्ता पूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के लिये कृत संकल्प है। उदय एवं राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व अधिनियम–2016 के अनुसरण में विद्युत वितरण निगमों की कार्य दक्षता बढ़ाना एवं वित्तीय रूप से आत्म निर्भर बनाना लक्षित है।

1.2 राजस्थान के विद्युत उपभोक्ताओं विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में एवं किसानों को अच्छी गुणवत्ता की व्यवधान रहित बिजली उपलब्ध कराने, उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान करने, सुरक्षित बिजली तथा यथा संभव विद्युत दरों पर नियंत्रण रखने हेतु विद्युत छीजत के स्तर को 15 प्रतिशत तक रखने के लिए "मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान" प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

1.3 इस अभियान का प्रारंभ माननीय मुख्यमंत्री के 9 मई 2016 को बिठूर पंचायत, जिला अजमेर में औचक निरीक्षण के दौरान ग्राम वासियों से संवाद के बाद बिजली तंत्र मे ढांचागत सुधार के लिए दिये गये निर्देशों के रूप में हुआ। निर्देशानुसार प्रायोगिक रूप से भीमपुरा 11 के.वी. फीडर पर जन प्रतिनिधियों, आमजन एवं जिला प्रशासन के सहयोग से जन जागरण व वितरण तंत्र पर सुधार कार्य किया गया। इसके परिणाम स्वरूप बिजली की गुणवत्ता बढ़ने के साथ–साथ बिजली की छीजत जो पहले 47 प्रतिशत थी घटकर 17 प्रतिशत आ गई है। इस प्रयोग की सफलता के बाद पूरे प्रदेश में विद्युत सुधार के लिए "मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान" को चरणबद्ध समय सीमा के अन्तर्गत पूरा करने का निर्णय लिया गया है।

1.4 इस अभियान में वितरण निगमों के साथ–साथ स्थानीय प्रशासन एवं जन भागीदारी की महती आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न विभागों के समन्वय से विद्युत सुधार कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

2. मुख्य उद्देश्य

2.1 24x7 सभी के लिए व्यवधान रहित गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति

2.1.1 फीडर पर ट्रिपिंग में कमी लाना ।

2.1.2 फीडर पर ट्रांसफार्मर जलने की वार्षिक दर को कम करना।

2.1.3 निर्धारित वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति।

2.1.4 वितरण तंत्र का समयबद्ध रखरखाव।

2.2 उपभोक्ता सेवाओं में सुधार

2.2.1 उपभोक्ताओं को बिल एवं भुगतान व्यवस्था में सुधार।

2.2.2 उपभोक्ताओं की विद्युत शिकायतों को निर्धारित समय से समाधान।

2.2.3 जले हुये ट्रांसफॉर्मरों को 72 घण्टे में बदलना।

2.2.4 उपभोक्ता सेवाओं में सूचना प्रोद्योगिकी का समावेश।

2.3 विद्युत सुरक्षा

2.3.1 ढीले तारों, टेढे पोलों को ठीक करना व लम्बे स्पानों में पोल स्थापित करना।

2.3.2 सुरक्षा के लिए घातक स्थानों का चिन्हीकरण व सुधार।

2.4 बिजली छीजत के स्तर में कमी

2.4.1 शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत से कम।

2.4.2 औद्योगिक फीडरों पर 2 प्रतिशत से कम।

2.4.3 ग्रामीण फीडरों पर 15 प्रतिशत से कम।

2.4.4 वर्तमान में जिन फीडरों व निकायों में विद्युत की छीजत लक्ष्य से कम आ चुकी है अथवा सुधार के बाद आ जावेगी वहाँ छीजत का लक्षित स्तर बनाये रखने के लिए सतत् सतर्कता कार्यवाहियां करना।

3. कार्य अवधि

3.1 इस अभियान को 31 दिसम्बर, 2017 तक निम्न तीन चरणों में सम्पादित किया जावेगा :

प्रथम चरण : 31 दिसम्बर, 2016 (पहले एक तिहाई फीडर)

द्वितीय चरण : 30 जून, 2017 (दूसरे एक तिहाई फीडर)

तृतीय चरण : 31 दिसम्बर, 2017 (शेष एक तिहाई फीडर)

3.2 प्रत्येक चरण में प्रत्येक कनिष्ठ अभियन्ता क्षेत्र के एक तिहाई 33 केवी सब–स्टेशन/फीडरों/क्षेत्रों का सुधार कार्य पूरा किया जावेगा।

4. प्रमुख कार्य

4.1 इस अभियान के अन्तर्गत वितरण तंत्र के सुधार एवम् छीजत कम करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु समय–समय पर अध्यक्ष डिस्कॉमस् द्वारा दिशानिर्देश जारी किये जावेंगे। क्षेत्रवार सुधार के प्रमुख बिन्दु निम्न है।

4.2 ग्रामीण क्षेत्र में:

4.2.1 प्रत्येक फीडर के लिए लाइन–मैन/हैल्पर स्तर का कर्मचारी फीडर इन्चार्ज के रूप में नियुक्त होगा। फीडर इन्चार्ज सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता की देख–रेख में सुधार कार्यो का चिन्हीकरण कर फीडरवार कार्य योजना तैयार करेगा। फीडर पर किये जाने वाले प्रमुख कार्य निम्न हैं:–

क. विद्युत भार अनुरूप लाईन के कण्डक्टर की क्षमता को बढ़ाना।

ख. वितरण ट्रांसफार्मरों पर वास्तविक लोड का आंकलन कर नियमानुसार क्षमता में वृद्धि करना।

ग. खराब/बंद व पुराने चकरी वाले मीटरों को बदलना।

घ. क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को सुधारना।

ङ. केबल कटों का सुधार (एमसील लगाना), लूज सर्विस लाईन को टाइट करना, आर्मर्ड केबल से बदलना तथा कनेक्टर स्थापित करना।

च. वितरण तंत्र उपलब्ध होने पर भी विद्युत से वंचित आवासों को कनेक्शन लेने हेतु प्रोत्साहित कर कनेक्शन देना।

4.2.2 सुधार कार्य के कियान्वयन हेतु प्रत्येक फीडर पर निम्न सदस्यों की फीडर प्रबन्ध कमेटी गठित की जावेगी। फीडर प्रबंधन कमेटी की माह में कम से कम एक बैठक आयोजित की जावेगी। यह कमेटी जन प्रतिनिधियों एवं उपभोक्ताओं के साथ समन्वय कर निर्धारित समय में सुधार कार्यों को पूरा कराने में सहयोग करेगी।

| | | |
|---|---|---|
| 1 | कनिष्ठ अभियन्ता | संयोजक |
| 2 | फीडर क्षेत्र के सभी सरपंच | सदस्य |
| 3 | फीडर इंचार्ज | सदस्य |
| 4 | फीडर क्षेत्र के पटवारी | आमंत्रित सदस्य |
| 5 | फीडर क्षेत्र के ग्राम सेवक | आमंत्रित सदस्य |
| 6 | फीडर प्रबन्ध कमेटी द्वारा जन सहयोग हेतु मनोनीत अन्य सदस्य | आमंत्रित सदस्य |

4.3 शहरी क्षेत्रों में:

सुधार के लिए अधिशाषी अभियन्ता (ऑपरेशन एवं सतर्कता) जिम्मेदार होगें जो सम्बन्धित तकनीकी कर्मियों के द्वारा सुधार हेतु कार्यो का चिन्हीकरण कर योजना बनवाऐंगे। सुधार हेतु किये जाने वाले प्रमुख कार्य निम्न हैं:–

क. खराब/बंद व पुराने चकरी वाले मीटरों को बदलना।

ख. केबल कट सुधारना, अति क्षतिग्रस्त/खराब एबी केबलों को बदलना तथा कनेक्टर स्थापित करना।

ग. खराब सर्विस लाईनों को आर्मर्ड केबल से बदलना।

घ. अधिक छीजत वाले क्षेत्रों में अतिआवश्यकता होने पर उच्च वोल्टेज का वितरण तंत्र स्थापित करना, इन्सूलेटेड वायर डालना, भूमिगत केबल डालना, इत्यादि।

ङ. विद्युत सुधार एवम् छीजत कम करने हेतु तकनीकी एवम् सतर्कता कार्यवाही करना।

च. ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति यदि मिश्रित हो ता अलग करना।

4.4 औद्योगिक क्षेत्रों में:

सुधार के लिए अधिशाषी अभियन्ता (ऑपरेशन एवं सतर्कता) जिम्मेदार होंगे जो सम्बन्धित तकनीकी कर्मियों के द्वारा सुधार हेतु कार्यो का चिन्हीकरण कर योजना बनवाएंगे। सुधार हेतु किये जाने वाले प्रमुख कार्य निम्न हैं:–

क. खराब/बंद व पुराने चकरी वाले मीटरों को बदलना।

ख. केबल कट सुधारना, अति क्षतिग्रस्त/खराब एबी केबलों को बदलना तथा कनेक्टर स्थापित करना।

ग. खराब सर्विस लाईनों को आर्मर्ड केबल से बदलना।

घ. चोरी संभावित उपभोक्ता परिसरों के बाहर एकल/संयुक्त रूप से चैक मीटर लगाना।

छ. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति यदि मिश्रित हो ता अलग करना।

5. जन जागरूकता एवं संवाद

5.1 बिठूर पंचायत क्षेत्र में 11 केवी भीमपुरा फीडर पर जिला एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा जन जागरण एवं सकिय सहयोग से सुधार कार्य करने पर ही अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस प्रयोग की सफलता को देखते हुए सभी क्षेत्रों व सभी उपभोक्ता समूहों– ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक आदि को ध्यान में रखते हुए जनजागरण एवं प्रभावी संवाद हेतु वितरण निगमों द्वारा जन संपर्क विभाग के सहयोग से आई.ई.सी. योजना तैयार कर कियान्वित की जाएगी।

5.2 प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न मीडिया तंत्र यथा दूरदर्शन एवं समाचार पत्रों, नुक्कड़ नाटक, विद्यालयों में विभिन्न कार्यकम, प्रभात फेरी, रात्रि चौपाल, नारा लेखन,

सोशल मीडिया यथा ट्वीटर, फेसबुक, वाट्सऐप आदि तकनीकी साधनों का उपयोग करते हुए आम नागरिकों/उपभोक्ताओं को इस अभियान की जानकारी देकर विद्युत सुधार, विद्युत संरक्षण, विद्युत सुरक्षा एवं विद्युत छीजत कम करने के कार्यो के संपादन में इनके सहयोग के लिए प्रेरित किया जाए।

6. प्रबोधन एवं समीक्षा

6.1 "**मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान**" के उददेश्यों की पूर्ति एवं निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण करने हेतु विभिन्न विभागों के समन्वय तथा सहयोग एवं समय–समय पर प्रबोधन एवं समीक्षा हेतु निम्न कमेटियों का गठन किया जाता है :–

6.1.1 माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में राज्य निर्देशन कमेटी

6.1.2 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स कमेटी

6.1.3 जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी

6.1.4 जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी

6.1.5 उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय कमेटी

6.2 उपरोक्त कमेटियों के सदस्यों एवं कार्यों का विवरण परिशिष्ट 1 से 5 पर संलग्न है।

(ओ. पी. मीना)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी (जी), मुख्यमंत्री कार्यालय,राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. विशिष्ठ सहायक, माननीय ऊर्जा राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. विशिष्ठ सहायक, संबंधित जिला प्रभारी मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. निजी सचिव, माननीय सांसद राजस्थान (समस्त)
10. निजी सचिव, माननीय सदस्य, राजस्थान विधान सभा (समस्त)
11. वरिष्ठ उप सचिव, सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर।
12. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, इन्फ्रास्ट्रक्चर, जयपुर
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर

14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
15. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
16. निजी सचिव, शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी व भू जल विभाग।
17. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
18. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, जयपुर।
19. समस्त सम्भागीय आयुक्त
20. अध्यक्ष डिस्कॉम्स, जयपुर
21. सलाहकार ऊर्जा, राजस्थान सरकार, जयपुर
22. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम
23. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
24. जिला कलक्टर समस्त
25. जिला प्रमुख समस्त
26. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
27. समस्त संभागीय मुख्य अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम.....को अधीनस्थ सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अभियान अनुरूप कार्यवाही करने हेतु सूचित करने एवं सम्भागीय स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाने एवं समन्वय हेतु।
28. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (पवस), विद्युत वितरण निगम .....
29. निजी आरक्षी पंजिका।

(संजय मल्होत्रा)
प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग

## माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य निर्देशन समिति

| | | |
|---|---|---|
| 1 | माननीय मुख्यमंत्री | अध्यक्ष |
| 2 | माननीय गृहमंत्री | सदस्य |
| 3 | माननीय वित्त मंत्री | सदस्य |
| 4 | माननीय मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | सदस्य |
| 5 | माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग | सदस्य |
| 6 | माननीय मंत्री कृषि विभाग | सदस्य |
| 7 | माननीय मंत्री राजस्व विभाग | सदस्य |
| 8 | माननीय ऊर्जा राज्यमंत्री | सदस्य |
| 9 | मुख्य सचिव | सदस्य |
| 10 | अतिरिक्त मुख्य सचिव, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग | सदस्य |
| 11 | प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग | सदस्य |
| 12 | प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| 13 | प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग | सदस्य |
| 14 | प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग | सदस्य |
| 15 | प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग | सदस्य सचिव |
| 16 | शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी व विभाग | सदस्य |
| 17 | अध्यक्ष डिस्कॉम्स | सदस्य |
| 18 | सलाहकार ऊर्जा | सदस्य |
| 19 | शासन सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | सदस्य |

## राज्य निर्देशन समिति के कार्य

1. नीति निर्धारण।
2. राज्य स्तरीय जनप्रतिनिधियों से संवाद।
3. प्रबोधन एवं समीक्षा।

## मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स

| | | |
|---|---|---|
| 1 | मुख्य सचिव | अध्यक्ष |
| 2 | अतिरिक्त मुख्य सचिव, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग | सदस्य |
| 3 | प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग | सदस्य |
| 4 | प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| 5 | प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग | सदस्य |
| 6 | प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग | सदस्य |
| 8 | प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग | सदस्य सचिव |
| 9 | शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग | सदस्य |
| 10 | सलाहकार ऊर्जा | सदस्य |
| 11 | अध्यक्ष डिस्कॉम्स | सदस्य |
| 12 | शासन सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | सदस्य |
| 13 | समस्त संभागीय आयुक्त | सदस्य |
| 14 | निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | सदस्य |
| 15 | प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम | सदस्य |
| 16 | प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिरकॉम | सदस्य |
| 17 | प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम | सदस्य |

## टास्क फोर्स के कार्य

1. रणनीति तैयार करना।
2. विभिन्न कार्यकारी एजेंसी व विभागों में समन्वय।
3. प्रबोधन व समीक्षा।

## जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति

| | | |
|---|---|---|
| 1 | जिले के प्रभारी मंत्री | अध्यक्ष |
| 2 | जिले के विधायकगण | सदस्य |
| 3 | जिला प्रमुख | सदस्य |
| 4 | जिला कलेक्टर | सदस्य |
| 5 | जिला पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 6 | सम्भागीय मुख्य अभियंता, विद्युत वितरण निगम | सदस्य |
| 7 | जिला जन संपर्क अधिकारी | सदस्य |
| | विभागों के जिला स्तर पर पदस्थापित वरिष्ठतम अधिकारी | |
| 8 | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | सदस्य |
| 9 | पंचायती राज विभाग | सदस्य |
| 10 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद | सदस्य |
| 11 | अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम | सदस्य सचिव |

## जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति के कार्य :

1. जिला स्तर पर मार्गदर्शन, प्रबोधन एवं समीक्षा करना।
2. स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के साथ संवाद, समन्वय कर कार्यकम की सफलता सुनिश्चित करना।

## जिला कलक्टर की अध्यक्षता में ज़िला स्तरीय कमेटी

जिला कलक्टर स्तरीय कमेटी राज्य स्तरीय टास्क फोर्स व डिस्कॉम कॉओरडीनेशन फोरम को प्रगति से अवगत करायेगी।

| | | |
|---|---|---|
| 1 | जिला कलक्टर | अध्यक्ष |
| 2 | जिला पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 3 | जिला जन सम्पर्क अधिकारी | सदस्य |
| | विभागों के जिला स्तर पर पदस्थापित वरिष्ठतम अधिकारी | |
| 4 | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | सदस्य |
| 5 | पंचायती राज विभाग | सदस्य |
| 6 | जिला शिक्षा अधिकारी | सदस्य |
| 7 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद | सदस्य |
| 8 | उप पुलिस अधीक्षक/थाना प्रभारी (एपीटीपीएस), विद्युत वितरण निगम | सदस्य |
| 9 | अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम | सदस्य सचिव |
| 10 | अधिशाषी अभियन्ता (एटीवीएस), विद्युत वितरण निगम | सदस्य |
| 11 | समस्त अधिशाषी अभियन्ता (मीटर एण्ड प्रोटेक्शन), विद्युत वितरण निगम | सदस्य |
| 12 | अधिशाषी अभियन्ता (डीडीयूजीजेवाई), विद्युत वितरण निगम | सदस्य |

## जिला स्तरीय समिति के कार्य

1. जिला स्तरीय रणनीति तैयार करना, प्रबोधन, निगरानी व समीक्षा।
2. जिला स्तरीय समन्वय।
3. जिला स्तरीय आई.ई.सी.।

## उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में उपखण्ड स्तरीय कमेटी

ब्लॉक स्तरीय कमेटी प्रतिमाह जिला स्तरीय कमेटियों को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

| | | |
|---|---|---|
| 1 | उप खण्ड अधिकारी | अध्यक्ष |
| 2 | पुलिस उप अधीक्षक | सदस्य |
| 3 | पुलिस थाना प्रभारी | सदस्य |
| | विभागों के ब्लॉक स्तर पर पदस्थापित वरिष्ठतम अधिकारी | |
| 4 | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | सदस्य |
| 5 | तहसीलदार | सदस्य |
| 6 | विकास अधिकारी, पंचायत समिति | सदस्य |
| 7 | प्राचार्य / प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक, ब्लॉक क्षेत्र के महाविद्यालय / विद्यालय से | सदस्य |
| 8 | जिला कलक्टर द्वारा जन सहयोग हेतु मनोनीत सदस्य | सदस्य |
| 9 | अधिशाषी अभियंता (ओ एण्ड वी), विद्युत वितरण निगम | सदस्य सचिव |
| 10 | सहायक अभियंता, वितरण निगम | सदस्य |

## उपखण्ड स्तर समिति का कार्य

1. उपखण्ड स्तरीय रणनीति तैयार करना, प्रबोधन, निगरानी व समीक्षा।
2. उपखण्ड स्तरीय समन्वय।
3. उपखण्ड स्तरीय आई.ई.सी.।